



न्यायालय अध्यक्ष / सदस्य म०प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर
सर्किट केम्प भोपाल.

136

प्र०क०- निगरानी/2016-17

R 61-PPR/11

..... आवेदक

प्रीति मोहले पुत्री ध्रुव कुमार मोहले
आयु-व्यस्क निवासी-मेन रोड बाडी
भूमि स्वामी ग्राम कांसिया
तहसील बाडी जिला रायसेन म०प्र०।

विरुद्ध

1- नन्ही बाई बेवा छगनलाल
आयु-व्यस्क निवासी-ग्राम सिरवारा
तहसील बाडी जिला रायसेन म०प्र०।

2- मन्नूलाल आ० धीरज सिंह
आयु-व्यस्क निवासी-ग्राम कांसिया
तहसील बाडी जिला रायसेन म०प्र०।

3- जितेन्द्र कुमार आ० शिवदास
निवासी- तहसील बाडी जिला रायसेन म०प्र०।

4- राकेश कुमार आ० शिवदास
निवासी- तहसील बाडी जिला रायसेन म०प्र०। अनावेदकगण

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा-50 के अन्तर्गत निगरानी.

माननीय महोदय,


आवेदक की ओर से विद्वान राजस्व निरीक्षक तहसील बाडी
जिला ~~भोपाल~~ ^{रायसेन} मध्यप्रदेश द्वारा उनके प्रकरण क्रमांक-20/अ-12/15-16
में पारित आदेश दिनांक-26-06-2016 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर यह
निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण के तथ्य

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है, कि उपरोक्त आवेदक
ने ग्राम कांसिया प.ह.न. 8 तहसील बाडी का खसरा क्रमांक-2/4 रकबा 1.
214 हेक्टेयर भूमि सीमांकन कराने हेतु आवेदन-पत्र तहसीलदार महोदय
तहसील बाडी के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे उनके द्वारा राजस्व निरीक्षक को
अग्रेषित किया गया।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



12/16/2016
रायसेन
म

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 61-पीबीआर/17

जिला रायसेन

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-9-18	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री अनोज गुप्ता उपस्थित । उनके द्वारा धारा 5 व ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक तहसील बाडी जिला रायसेन के प्रकरण क्रमांक 20/अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 26-6-2016 के विरुद्ध इस न्यायालय में लगभग चार माह से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा विलम्ब का कारण सीमांकन आदेश की जानकारी नहीं होना बताया है जो कि मानने योग्य नहीं है क्योंकि सीमांकन स्वयं आवेदक के आवेदन एवं उपस्थिति में हुआ है स्पष्ट है कि उसे सीमांकन की पूर्ण जानकारी थी । अतः आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया विलम्ब का कारण समाधानकारक मान्य नहीं किया जा सकता है । इस सम्बन्ध में 1989 आर.एन. 243 गोदावरीबाई विरुद्ध विमलाबाई में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-</p> <p>परिसीमा अधिनियम, 1963-धारा 5--विलंब के लिए माफी देना-प्रत्येक दिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया-पर्याप्त कारण साबित नहीं किया गया-पर्याप्त कारण के विषय में निष्कर्ष दिये बिना विलंब के लिए माफी नहीं दी जा सकती ।"</p> <p>अतः उपरोक्त न्यायदृष्टांत के प्रकाश में यह निगरानी समय बाह्य प्रस्तुत होने के कारण अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p>अध्यक्ष</p>

23/9